Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Supply Revision Case No.-109 /2025]

Sandev Mallik..Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.3.2026	**आदेश**	

यह अपूर्ति पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-12325/2018 में दिनांक-03.7.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद संख्या-64/2017 में दिनांक-25.4.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

दिनांक-07.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/ LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा दिनांक-11.8.2017 को श्री शनदेव मल्लिक के P.D.S दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत निम्नांकित अनियमितता पायी गईः-

1. निरीक्षण के समय विक्रेता दुकान पर अनुपस्थित पाये गये। विक्रेता के घर के सदस्य के द्वारा खाद्यान्न का भंडार पंजी व वितरण पंजी उपलब्ध कराया गया।
2. विक्रेता द्वारा माह जुलाई-2017 में पी.एच.एच. एवं अन्त्योदय का कुल 83.64 क्वी. चावल एवं 55.76 क्वी. गेहूं का उठाव किया गया। जिसके विरूद्ध वितरण पंजी व भंडार पंजी में वितरण का संधारण नहीं किया गया। जबकि विक्रेता द्वारा दिनांक-22.7.2017 को माह जुलाई-2017 के उपर्युक्त खाद्यान्न का उठाव किया गया।
3. गोदाम के भौतिक सत्यापन के समय कुल 77.50 क्वी. चावल (155 बोड़ा) एवं 48.50 क्वी. गेहूं (97 बोड़ा) भंडार में पाया गया।
4. सत्यापनोपरांत 6.14 क्वी. चावल एवं 7.26 क्वी. गेहूं कम पाया गया।
5. विक्रेता द्वारा 22.7.2017 को माह जुलाई-2017 का खाद्यान्न उठाव के बावजूद लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया गया।
6. विक्रेता द्वारा माह अगस्त-2017 के खाद्यान्न का उठाव भी दिनांक-09.8.2017 को किया गया। जबकि भंडार के भौतिक सत्यापन में माह अगस्त-2017 का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था।
7. विक्रेता द्वारा किरासन तेल का भंडार पंजी/वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किरासन तेल का भंडार व वितरण का सत्यापन नहीं हो पाया।

पुनरीक्षणकर्त्ता P.D.S dealer श्री शनदेव मल्लिक के P.D.S दुकान संचालन में कई प्रमाणित अनियमितता यथा खाद्यान्न के ससमय उठाव करने के बावजूद भी खाद्यान्न का भंडारण/वितरण में अनियमितता, किरासन तेल भंडार पंजी/वितरण पंजी का उपस्थापन नहीं करना, खाद्यान्न के उठाव के बावजूद भी भंडार पंजी/वितरण पंजी में दर्ज नहीं करना एवं निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित पाये जाने के आलोक में

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के आदेश ज्ञापांक-3486 दिनांक-23.8.2017 द्वारा श्री शनदेव मल्लिक के P.D.S अनुज्ञप्ति संख्या-184/ 2007 को रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, मधेपुरा के समक्ष दायर जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद संख्या-64/2017 में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने तथा प्रमाणित घोर अनियमितता के आलोक में अपील वाद को खारिज कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा कागजातों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि Petitioner द्वारा P.D.S दुकान का अनियमित संचालन किया गया है। Petitioner के स्तर से P.D.S दुकान संचालन से संबंधित Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order 2016 में निहित प्रावधानों तथा P.D.S अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन किया गया है। Petitioner द्वारा वाद पत्र में किये जा रहे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से उक्त जन वितरण प्रणाली के जांच किए जाने के संदर्भ में ज. वि.प्र. विक्रेता के पुत्र श्री विनोद कुमार द्वारा 2 ट्रैक्टर अनाज लोड करने संबंधित तथ्य अंकित है। जो अनाज को लाभुकों को वितरण नहीं करने के प्रमाणित तथ्य के आलोक में प्रथम दृष्टया कालाबाजारी का मामला प्रतीत होता है। Petitioner की ओर से सुनवाई में उक्त के संबंध में कोई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है एवं तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

18/3/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
18/3/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा